न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
25/2024	धारा 212 RTA	24.05.2024	20.02.2025

रेणु सरीन पत्नी डा. हरेन्द्र मोहन सरीन पंजाबी खत्री निवासीनी वार्ड नं. 12 चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

–प्रार्थी–

बनाम

1. अन्तरसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी सैनिक बस्ती चूरू तहसील व जिला चूरू
2. रतनसिंह पुत्र श्री जाति जाट निवासी बीकानेर तहसील व जिला चूरू बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
4. सबरजिस्ट्रार उपपंजीयक चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

उपस्थितिः–1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री हकीम अहमद खान

2 अधिवक्ता अप्रार्थी धन्नाराम सैनी आदि

1. यह कि उपरोक्त अनवान का दावा प्रार्थीनी द्वारा श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है।
2. यह कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 1 कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू के निवासी है जो उक्त आराजी कृषि भूमि व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि में विभाजन से पूर्व संयुक्त काश्तकार थे।
3. यह कि प्रार्थीनी की कृषि भूमि ख.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोही चूरू पटवार हल्का भू अभिलेख क्षेत्र चूरू व तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके खाता सं. नया 911 व पुराना 264 है प्रार्थीनी की उक्त आराजी कृषि भूमि मे सम्पूर्ण हिस्से की खातेदार काश्तकार है जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।
4. यह कि आराजी कृषि भूमि दावा विभाजन के पूर्व ख.नं. 2175/778 तादादी 1.4290 हैक्टेयर व ख. 2743/2313 तादादी 1.4037 हैक्टेयर कुल तादादी 2.8327 हैक्टेयर रोही चूरू में प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी सं 1 व नारायण व गिरधारीलाल माली की संयुक्त खातेदारी की थी जिसमे प्रार्थीनी का 51/224 हिस्सा अर्थात 0.6449 हैक्टेयर था अप्रार्थी सं. 1 का 17/224 हिस्सा अर्थात 0. 21498 हैक्टेयर था उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष विभाजन बाबत दावा पेश किया जिसके नं. मु. 664/2917 अनवान रेणु सरीन बनाम अन्तरसिंह आदि था उक्त अनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने दावा स्वीकार कर दावा का निर्णय डिक्री दिनाक 10.8.2018 को किया जाकर डिक्री की पालना में अंतिम डिकी व निर्णय दिनाक 25.1.2019 को जारी की जाकर प्रार्थीनी का खाता विभाजन राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद किया जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थीनी के विभाजन से खातेदारी पृथक दर्ज होने से अप्रार्थी सं. 1 नाराज हो कर अपने खेत व प्रार्थीनी के खेत के बीच के सीमा के सीमा चिन्ह नष्ट कर प्रार्थीनी की कृषि भूमि क्षेत्र पर उसके अधिकार ... पर अप्रार्थी द्वारा सीमा पर अतिक्रमण व आक्रमक की धमकी प्रार्थीनी को भूमिधारी के ... गई ... र्थीनी के खेत के सीमा से छेड़ छाड़ कर प्रार्थीनी को अनावश्यक तंग, ... की सीमा के पट्टीया कटीले तार तोड़ कर फसल पेड़ पौधे ... नुकसान पहुंचाया जा ... इस लिए प्रार्थीनी को यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेध... पेश किया जाना आव... हो गया है अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

5. यह कि वादगत उक्त खसराजात की उक्त कृषि भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण का हिस्स प्रार्थीनी की कृषि भूमि की फसल पेड़ पौधे सीमा पर खड़ी पट्टिया सीमा चिन्ह कटीले तार की बाढ़ आदि का नुकसान कर प्रार्थीनी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर परेशान कर आक्रमण की धमकी दे रहे है प्रार्थीनी ने अप्रार्थ सं. 1 अन्तरसिंह को इस बाबत दिनाक 17.05.2024 को ओलमा दिया तो अन्तरसिंह ने कहा कि मैने तो उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 रतनसिंह को बेच दी है वहां मौजूद रतनसिंह ने उक्त कृषि भूमि खरीदना मौखिक स्वीकार किया इस लिए रतनसिंह को बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया है प्रार्थीनी के उक्त खसरा आराजी में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 आये दिन परेशान कर फसल आदि का नुकसान पहुंचा रहे है। दिंनाक 15.5.24 को प्रार्थीनी ने सीमा ज्ञान सीमाकंन का प्रार्थना पत्र तहसीलदार चूरू को पेश करने पर अप्रार्थी से 1 व 2 ने दिनाक 17.5.2024 को ओर भी उग्र रूप से नाराज होकर आक्रमण व धमकी देकर झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो गये एंव प्रार्थीनी व अप्रार्थी के खेत के बीच कटीली तार की बाड़ का नुकसान कर पट्टीया उखाड़ व तोड़ दी सीमा चिन्ह नष्ट कर नुकसान पहुंचा दिया प्रार्थीनी के उक्त खा.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैकटेयर रोही चूरू की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये चिर अस्थायी निषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जा कर रोका जावे कि प्रार्थीनी खेत के फसल की जोत आवागमन रहन बैय विक्रय हस्तान्तरण आवागमन उपयोग उपभोग हक हकूक में बाधा उत्पन्न न करें ना करावे जिससे प्रार्थीनी को हैरानी परेशानी क्षति उत्पन्न होती हो अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिए अस्थायी निषेधज्ञा वर्जित फरमाया जाना न्यायोचित है।

यह कि प्रार्थीनी ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दिंनाक 17.5.2024 को पट्टियो व तारबन्दी उखड़ने व तोड़ने व सीमा चिन्ह नष्ट करने का ओलमा दिया तो अप्रार्थी सं. 2 ने जबाब दिया कि अप्रार्थी सं. 1 ने मुझे उक्त कृषि भूमि खरीदने के समय आगे तक बतायी है अन्तरसिंह के कहने पर ही ख.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोठी चूरू कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीनी के हक हकूक में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें ना ही किसी अन्य के द्वारा हस्तक्षेप करावे तथा प्रार्थीनी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करे तथा ऐसा कोई कार्य नही करके जिससे प्रार्थीनी के अधिकारों पर विपरीत असर पड़े । अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 को वर्जित फरमाया जाये कि ख.नं. 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टेयर रोही चूरू के बाबत विक्रय पत्र आदि उनके समक्ष पेश होने पर तस्दीक नही करे व राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे।

प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम सैनी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है:–

(1) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दावा श्रीमानजी के न्यायालय में पेश करने का कथन स्वीकार है। शेष कथन गलत है. अस्वीकार है। कथित सफलता की आशा निराशा मात्र है।

(2) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 स्वीकार है।

(3) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 भी स्वीकार है।

(4) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित यह अभ्किथन कि आराजी कृषि भूमि दावा विभाजन के पूर्व खसरा नम्बर 2175/778 तादादी 1.4290 हैक्टर व खसरा नम्बर 2743/2313 रकबा 1–4037 हैक्टर कुल तादादी 2–8327 हैक्टर रोही चूरू में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 नारायण व गिरधारीलाल माली का संयुक्त खाता ... था जिसमें प्रार्थीया का 51/224 हिस्सा अर्थात 0.6449 हैक्टर था, अप्रार्थी संख्या 1 का ... हिस्सा अर्थात 0–2149 हैक्टेअर था। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया ने ... अधिकारी चुरू के समक्ष विभाजन बाबत दावा पेश किया जिसके ... 2017 उनवान रेणु सरीन बनाम अन्तर सिंह आदि था। उक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्याय... ने दावा स्वीकार कर दावा निर्णय डिक्री दिनांक 10–8–2018 को किया जाकर डिक्री की पालना में अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.)

44
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

25–1–2019 को जारी की जाकर प्रार्थीया का दावा विभाजन राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जो जमाबंदी से स्पष्ट है, स्वीकार है। शेष कथन पूर्णतया गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने के बाद शेष बची भूमियों 2175/778 रकबा 1.4290 हैक्टर व खसरा नम्बर 2879/2743 रकबा 0–7588 हैक्टर तन रोही चुरू के बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी माननीय न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 87/2019 उनवानी अन्तर सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चुरू वगैरह अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत करके अपने हिस्से का खाता विभाजन उक्त दावा में निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 25–11–2019 के जरिये करवा लिया। वाद संख्या 87/2019 उनवानी अन्तर सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चुरू में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 25–11–2019 की पालना में जरिये नामांतरकरण संख्या 3249 दिनांकित 4–12–2019 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्अर तन रोही चुरू तहसील चुरू जिला चुरू अप्रार्थी संख्या 1 अन्तर सिंह की एकल खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गई। इस प्रकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टर प्रार्थीया तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0–2150 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित चला आ रहा है। दोनों खसरा नम्बर एक दूसरे से चिपके हुए है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के द्वारा की गई विभाजन कार्यवाही से वास्तव में नाराज होता तो वह अवश्य ही उक्त विभाजन कार्यवाही के सम्बन्ध में अपील की कार्यवाही करता, परन्तु वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त विभाजन की कार्यवाही से कोई एतराज नहीं था। प्रार्थीया द्वारा उक्त मद में झूठे अभिकथन करके प्रस्तुत झूठे मुकदमें की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टर की सीमा में प्रवेश करके जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों के बीच की सीमा को स्वयं प्रार्थीया द्वारा ही अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की सीमा में घुसकर अतिक्रमण करने की दुर्भावना से नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 दोनों खेतों के बीच की सीमा का सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी की कार्यवाही करने हेतु सहमत है। प्रार्थीया द्वारा किए गए अभिवचनों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण केवल मात्र सीमा विवाद की श्रेणी का विवाद ही है जिसका निस्तारण भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत ही किया जाना संभव है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी भी प्रावधान के तहत उक्त विवाद का निस्तारण संभव नहीं है। दावा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0–2150 हैक्टर की सीमा में प्रवेश करके अवैध कब्जा करने की दुर्भावना से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो मय विशेष हर्जा खर्चा काबिले खारिज है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 गलत है, अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि प्रार्थीया की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित नहीं होकर दक्षिणी दिशा में स्थित है। प्रार्थीया की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्वी दिशा में नहीं होकर उत्तरी दिशा में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थीया को कभी भी कोई धमकी नहीं दी गई, न ही उनके द्वारा प्रार्थीया की कोई फसल पेड पौधे व पट्टियों को तोड़ने की धमकी दी गई। स्वयं प्रार्थीया द्वारा झूठे मुकदमें की आड में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत की सीमा में प्रवेश करके अवैध कब्जा करने की कुचेष्टा की जा रही है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। दिनांक 17–5–2024 को अप्रार्थी संख्या 1 की प्रार्थीया से कोई बातचीत अथवा मुलाकात तक नहीं हुई। प्रार्थीया द्वारा सर्वथा मिथ्या, निराधार एवं मनगढंत अभिकथन किए जा रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 रकबा 0.2150 हैक्टर तन रोही [illegible] को अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान किए जाने निमित करीब 6 माह पहले सौदा [illegible] था। जिसके बारे में प्रार्थीया को जानकारी होने पर उसके द्वारा [illegible] एतराज जताया गया कि आप अपने खाते की जमीन दूसरे [illegible]। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जब प्रार्थीया को यह कहा गया कि मैं आपको जमीन नहीं बेच सकता हूं क्योंकि मैंने अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान करने बाबत हां कर ली है, इस बात पर प्रार्थीया अनावश्यक ही नाराज हो गई तथा यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * चूरू (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर गलत रूप से एकतरफा स्थगन आदेश दिनांकित 24–5–2024 पारित करवा लिया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत झुठे मुकदमें तथा माननीय न्यायालय को मुगालता देकर गलत रूप से पारित करवाये गये स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 के एकाकी खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2579 रकबा 0–2150 हैक्टर तन रोही चुरू तहसील चुरू जिला चुरू की सीमा जो कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2880/2743 से लगती हुई है, में प्रवेश करके जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 15–5–2024 को सीमाज्ञान सीमांकन बाबत किए गए किसी भी प्रार्थना पत्र के बारे में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को स्थायी अथवा अस्थायी किसी भी तरह की निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने की अधिकारिणी नहीं है।

(6) यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 के खेतों के मध्य प्रार्थीया की कोई पट्टियां व तारबंदी कभी थी ही नहीं तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उन्हे तोडने व उखाड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जैसा कि जवाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में ही उल्लेखित किया जा चुका है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खाते, कब्जे, काश्त की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान किए जाने निमित सौदा किए जाने के बारे में जानकारी होने पर उसके द्वारा अनावश्यक ही नाराज होकर झूटा मुकदमा क्षेत्राधिकार विहिन रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17–5–2024 अथवा उसके आस–पास प्रार्थीया की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कोई बातचीत अथवा मुलाकात तक नहीं हुई। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिय क्षति साबित नहीं है।

विशेष–कथन

(1) यह कि प्रार्थीया द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र व वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण केवल मात्र सीमा विवाद से सम्बन्धित है जिसका निस्तारण भू राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी की कार्यवाही के तहत ही संभव है। इस कारण प्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

(2) यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की भूमि को बेचान किए जाने का सौदा अप्रार्थी संख्या 2 से कर लिए जाने की बात से अनावश्यक ही नाराज होकर प्रस्तुत मुकदमा प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया है तथा माननीय न्यायालय को मुगालता देकर गलत रूप से एकपक्षीय स्थगन आदेश भी दिनांक 24–5–2024 को माननीय न्यायालय से अपने पक्ष में पारित करवा लिया गया है। प्रार्थीया प्रस्तुत झूठे मुकदमे तथा एकतरफा स्थगन की आड में अप्रार्थी संख्या 1 के एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2907/2879 जो कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 2880/2743 रकबा 0.6449 हैक्टर के सीमा से लगती हुई है की सीमा में प्रवेश करके उस पर जबरन कब्जा करना चाहती है जिसकी इजाजत कानूनन नहीं दी जा सकती है। इस कारण भी मुकदमा प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है।

जवाब प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का विभाजन करवाने के लिए अदालत में आवेदन किया। यह भूमि खसरा संख्या 2880/2743 0–6449 हैक्टेयर) चूरू में स्थित है, और प्रार्थी ने पहले ही अपनी भूमि का विभाजन करवाया था।

प्रार्थी का आरोप है कि अप्रार्थी 1 अंतरसिंह [illegible] 2 रतनसिंह उनके खेतों की सीमा में हस्तक्षेप कर रहे हैं और सीमा [illegible] भूमि के उपयोग में परेशानी उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी ने [illegible] किया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में हस्तक्षेप [illegible]र सकें और उनकी भूमि के अधिकारों का उल्लंघन न हो अप्रार्थीगण ने आरोपों का खंडन किया है और कहा कि यह मामला सीमा विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

का है, जिसमें प्रार्थी ने गलत जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोई सीमा चिन्ह नष्ट नहीं किया गया और न ही कोई धमकी दी गई। अप्रार्थीगण का दावा है कि प्रार्थी ने भूमि के विभाजन के बाद उनके हिस्से में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया और उसकी सीमा में घुसने की कोशिश की उनका कहना है कि प्रार्थी ने गलत तरीके से न्यायालय में मामला पेश किया और वहां से अस्थायी आदेश प्राप्त किया। अप्रार्थीगण का कहना है कि यह मामला भूमि के सीमा विवाद से संबंधित है और इसका निपटारा भू–राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए। वे इस विवाद को काश्तकारी अधिनियम के तहत निपटाने का विरोध करते हैं।
अदालत दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद इस निष्कर्ष पर पहूंची है कि उक्त प्रकरण का निस्तारण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट के तहत होना प्रकरण सीमा विवाद से सम्बन्धित है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निस्तारित किया जाना उचित नहीं है। जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के सन्तुलनएवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं पत्रावली में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2024 को निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested